"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 320] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 29, शक 1933

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 (अग्रहायण 29, 1933)

क्रमांक-14431/वि.स./विधान/2011.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) जो दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 23 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2011

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) में और संशोधन हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की अनुसूची में, सरल क्रमांक 4 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जायें, अर्थात् :—

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की प्रक्रिया	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"5.	आई.टी.एम. विश्व-विद्यालय	आई.टी.एम. सोसायटी, रायपुर	फर्म्स एवं सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक-2755 छ.ग. राज्य दिनांक 13-08-2003	प.ह.नं. 137 ग्राम-उपरवारा तह.-अभनपुर जिला-रायपुर पिन-493661	छत्तीसगढ़	● कम्प्युटर सांईस ● इनफॉरमेशन टेक्नालॉजी ● बायो टेक्नालॉजी ● बायो इंफॉर्मेटिक्स ● कला ● विज्ञान ● वाणिज्य ● इंजीनियरिंग ● माइक्रोबायआलॉजी ● नैनोटेक्नालॉजी ● फार्मेसी ● बीमा ● शारीरिक शिक्षा ● व्यवसाय प्रबंधन ● ह्यूमैनिटीज ● विधि ● शिक्षा विज्ञान ● स्वास्थ्य विज्ञान ● हॉटल मैनेजमेंट ● फैशन डिजाईनिंग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						● पत्रकारिता एवं जनसंचार ● प्रबंधन प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच.डी. तथा अन्य अनुसंधान पाठ्यक्रम."

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

आई.टी.एम. सोसायटी, रायपुर द्वारा प्रायोजित (संचालित), आई.टी.एम. विश्वविद्यालय के नाम से एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित होना है. आई.टी.एम. विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) के प्रावधानों के अधीन शर्तों को पूरा कर लिया है तथा छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च शिक्षा में उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

दिनांक 13-12-2011

हेमचंद यादव,
उच्च शिक्षा मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की अनुसूची का सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

अनुसूची

धारा 9 (1) के अंतर्गत

अ. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की विधि	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय	ऑल इंडिया सोसायटी फार इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेक्नालाजी (आई सेक्ट)	फर्म्स एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ.ग. राज्य-208 दिनांक 14-08-2002	करगी रोड, कोटा, जिला-बिलासपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की तकनीकी (अभियांत्रिकी, ग्रामीण एवं सूचना), विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा तथा उससे संबंधित विषय.
2.	मैट्स विश्वविद्यालय	श्री भगवान महावीर जैन एजूकेशनल एण्ड कल्चरल सोसायटी	फर्म्स एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ.ग. राज्य-2342 दिनांक 07-05-2003	आरंग-खरोरा हाईवे ग्राम पंचायत गुल्लू ग्राम गुल्लू तहसील-आरंग जिला-रायपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध पाठ्यक्रम का प्रबंधन, व्यवसाय, वाणिज्य, अभि-यांत्रिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, जैवविज्ञान, फार्मेसी, कला एवं मानविकी, विधि शिक्षा, विज्ञान तथा उससे संबंधित विषय.
3.	कलिंगा विश्वविद्यालय	भगवान श्री बाला सांई एजुकेशनल एंड चेरीटेबल सोसायटी, रायपुर.	फर्म्स एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ.ग. राज्य-2561 दिनांक 08-01-2004	ग्राम-कोटनी, पलौद, तहसील-आरंग जिला-रायपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	मैनेजमेंट कम्प्यूटर साईंस इनफारमेशन टेक्नालॉजी, बायों टेक्नालॉजी, बायो इनफार्मेटिक्स, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान पाठ्यक्रम.
4.	आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय	दि आई.सी.एफ.ए.आई. सोसायटी, रायपुर.	छत्तीसगढ़ सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ.ग. राज्य/203 दिनांक 25 जुलाई 2002	ग्राम-चोरहा, आई.आई. सर्किल, अहिवारा तह. धमधा जिला-दुर्ग (छ.ग.)	छत्तीसगढ़ राज्य	व्यवसाय प्रबंधन, व्यवसाय, वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, कला, ह्यूमनटीज, विधि, शिक्षा विज्ञान तथा उससे संबंधित विषय.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.